

शैक्षिक समाचार  
राजस्थान



शैक्षिक समाचार राजस्थान

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्र दिनांक : 15.03.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक आवेदन पत्र में लोक सूचना अधिकारी से चाही गई सूचना के संबंध में प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	सूचना	प्रत्युत्तर
1	<p>अभी हाल ही में बीकानेर निदेशालय, बीकानेर द्वारा वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक और वेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित अभ्यार्थीयों को काउसलिंग के बाद प्रदेश की विभिन्न स्कूलों में नियुक्ति के आदेश दिये गये थे। कृपया वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक और वेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का जॉब चार्ट या जॉब प्रोफाइल अलग-अलग उपलब्ध करवाने की कृपा करें।</p> <p style="text-align: center;">!</p>	<p><b>वेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक :-</b> कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक शिक्षण कार्य, विद्यालय के समस्त ऑनलाईन कार्य तथा कम्प्यूटर लैप का प्रभार तथा संस्थाप्रधान द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्य।</p> <p><b>वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक :-</b> कक्षा 9 से 12 का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक शिक्षण कार्य, विद्यालय के समस्त ऑनलाईन कार्य तथा कम्प्यूटर लैप का प्रभार तथा संस्थाप्रधान द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्य।</p>

उपनिदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :-

- सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक, सूचना का अधिकार अनुभाग, कार्यालय हाजा को उनके पत्रांक : शिविरा-माध्य/सू.अ.प्र./41/श्रवण कुमार/जोधपुर/23 दिनांक 20.03.2023 के क्रम में।

उपनिदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Harsh  
Designation : Director  
Date: 2023.04.21 11:07:25 IST  
Reason: Approved

**राजस्थान सरकार**  
**कार्मिक(क-ग्रुप-II) विभाग**

सं.एफ १(३) डीओपी/ए-II/2021

जयपुर, दिनांक: ७.०१.२०२२

**अधिसूचना**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।  
(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे, सिवाय नियम 16 के संशोधन के, जो 26.07.2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

**2. नियम 16 का संशोधन.-** राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 16 के विद्यमान परन्तुक (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i) उपरोलिखित ऊपरी आयु सीमा को,-

- (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक;
- (ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक; और
- (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक, शिथिल किया जायेगा।”

**3. अनुसूची II का संशोधन.-** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-II में, विद्यमान ग्रुप घः शारीरिक शिक्षा विंग और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित ग्रुप घः कम्प्यूटर विंग और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

**“ समूह घः कम्प्यूटर विंग**

1.	वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	<p>अभियांत्रिकी (एम.ई.) में स्नातकोत्तर/कम्प्यूटर विज्ञान (सीएस) / सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) / इलैक्ट्रोनिक्स और संचार अभियांत्रिकी (ईसीई) / विद्युत अभियांत्रिकी (ईई) / विद्युत एवं इलैक्ट्रोनिक्स अभियांत्रिकी (ईईई) / इलैक्ट्रोनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी (ईटीई) / इलैक्ट्रोनिक्स और इंस्ट्रमेंटेशन अभियांत्रिकी (ईआईई) में प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर (एम.टेक.)</p> <p>या</p> <p>कम्प्यूटर विज्ञान (सीएस) / सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में एम.एससी.</p> <p>या</p> <p>कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर (एम.सीए.) / ‘बी’ लेवल / ‘सी’ लेवल</p> <p>या</p> <p>सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता।</p>	बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक	स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर व्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव	अभ्यर्थी के पास उसी विषय/उसकी स्नातक डिग्री के विषयों में से एक में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।
2.	बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक	100 प्रतिशत	-	<p>स्नातक और ‘ए’ लेवल/पीजीडीसीए (व्यूनतम एक वर्ष)</p> <p>या</p>			

6

			<p>अभियांत्रिकी में स्नातक          (बी.ई.) / कम्प्यूटर विज्ञान          (सीएस) / सूचना प्रौद्योगिकी          (आईटी) / इलैक्ट्रोनिक्स          और संचार अभियांत्रिकी          (ईसीई) / विद्युत अभियांत्रिकी          (ईई) / विद्युत एवं          इलैक्ट्रोनिक्स अभियांत्रिकी          (ईईई) / इलैक्ट्रोनिक          इंस्ट्रमेंटेशन और नियंत्रण          (ईआईसी) / दूरसंचार और          इंस्ट्रमेंटेशन (टीआईई) में          प्रौद्योगिकी में स्नातक          (बी.टेक.)</p> <p>या</p> <p>कम्प्यूटर विज्ञान          (सीएस) / सूचना प्रौद्योगिकी          (आईटी) में बी.एससी.</p> <p>या</p> <p>भारत में विधि द्वारा          स्थापित किसी          विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर          एप्लीकेशन में स्नातक          (बी.सीए.)</p> <p>या</p> <p>सरकार द्वारा मान्यता          प्राप्त कोई समतुल्य या          उच्चतर अर्हता।</p>			

4. **अनुसूची-III का संशोधन.-** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-III में विद्यमान मद 9 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नये मद 10 और 11 तथा उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

“10 वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यविवरणः

परीक्षा 200 अंकों की होगी। दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा।

### प्रश्नपत्र-I

1. प्रश्नपत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा।
2. प्रश्नपत्र की अवधि 2 घण्टों की होगी।
3. प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे।
4. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय होंगे:-

(i) कला एवं संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और राजस्थान के समसामयिक मामले।

(ii) सामान्य योग्यता में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होंगे:-

क. लॉजिकल रीजनिंग एण्ड एनालिटिकल एबीलिटी

ख. डिसिजन मेकिंग एण्ड प्रोब्लम सोल्विंग

ग. सामान्य बौद्धिक योग्यता

घ. बेसिक न्यूमरेसी- नम्बर एण्ड देयर रिलेशन्स, ऑर्डर ऑफ मैग्निट्यूड, इत्यादि (कक्षा- X स्तर)

ड. डाटा इन्टरप्रिटेशन-चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशियन्सी, इत्यादि (कक्षा- X स्तर)

5. उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जायेगा।

**स्पष्टीकरणः** किसी प्रश्न के लिए दिये गये बहुविकल्पों में से दिया गया अशुद्ध उत्तर गलत उत्तर माना जायेगा।

प्रश्नपत्रों का पाठ्य विवरण और विस्तारः परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/बोर्ड/ या, यथारिथ्ति, नियुक्ति



प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को, नियत समय के भीतर-भीतर ऐसी शैति से जो आयोग/बोर्ड/ या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

### प्रश्नपत्र-II

1. प्रश्नपत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा।
  2. प्रश्नपत्र की अवधि 2 घण्टों की होगी।
  3. प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे।
  4. उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जायेगा।
- स्पष्टीकरण:** किसी प्रश्न के लिए दिये गये बहुविकल्पों में से दिया गया अशुद्ध उत्तर गलत उत्तर माना जायेगा।
5. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:-

(i) पेडगोजी

(ii) **बौद्धिक योग्यता:** डिसिजन मेकिंग एण्ड प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफिशियन्सी, लॉजिकल रीजनिंग एण्ड एनालिटिकल एबीलिटी, मेजर डवलपमेण्ट इन द फील्ड ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी

(iii) **फण्डार्मेंटल्स ऑफ कम्प्यूटर:** नम्बर सिस्टम, अर्थमेटिक ऑपरेशन्स, इन्ट्रोडक्शन दू वेरियस केटेगरीज ऑफ कम्प्यूटर लेंगवेज, फंक्शनल डीटेल्स ऑफ इनपुट एण्ड आउटपुट डिवाइसेज।

(iv) **प्रोग्रामिंग फण्डार्मेंटल्स :** सी,सी++, जावा, डॉटनेट, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग, पाइथन एण्ड ल्लॉक चैन, प्रोग्रामिंग, डाटा टार्झप्स (बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड), स्कोप ऑफ वेरिएबिल्स, प्रिसिडेन्स ऑफ ऑपरेटर्स, कन्ट्रोल फ्लो, फंक्शन, एरेज पॉइन्टर्स, स्ट्रक्चर्स एण्ड यूनियन्स, इन्वूमरेटेड डाटा-टाइप एण्ड फाइल हैंडलिंग, कमाण्ड लाइन आरग्यूमेंट्स।

(v) **ऑब्जेक्ट ओरियन्टेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी++ एण्ड जावा :** ऑब्जेक्ट एण्ड क्लासेज, इन्हेरिटेंस, पोलीमोरफिज्म, इवेंट एण्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाईल्स एण्ड स्ट्रीम्स।



(vi) **डाटा स्ट्रक्चर्स एण्ड एलगोरियम्स:** एब्सट्रेक्ट डाटा टाइप्स, एरेज एज डाटा स्ट्रक्चर्स, लिंक्ड लिस्ट वर्सेज एरे फोर स्टोरेज, स्टैक और स्टैक ऑपरेशन्स, क्यूज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, ग्राफ्स एण्ड देयर रिप्रजेशन, सॉर्टिंग एण्ड सर्चिंग, सिम्बल टेबल

(vii) **एलगोरियम्स:** ट्री ट्रैवर्सल्स, ब्रांच एण्ड बातण्ड एण्ड ग्रीडी मेथड, कॉम्पलेक्शन्स ऑफ एलगोरियम्स

(viii) **डीजिटल लॉजिक सिस्टम:** बूलियन एक्सप्रेशन्स, के-मैप्स, टीटीएल एण्ड सीएमओएस लॉजिक फैमेलीज, कॉम्बीनेशनल लॉजिक डिजाइन यूजिंग हाफ/फुल ऐडर्स, सब ट्रैकर्स, और मल्टीप्लेक्सर, सिंक्रोनस सीक्वेन्शल सिस्टम डिजाइन।

(ix) **कम्प्यूटर ऑरगनाइजेशन एण्ड आरकिटेक्चर :** वोन-व्यूमन आरकिटेक्चर ऑफ कम्प्यूटर्स। रजिस्टर्स एण्ड माइक्रो ऑपरेशन्स, कन्ट्रोल लॉजिक, प्रोसेसर एड्रेसिंग एण्ड बस ऑरगनाइजेशन। प्रोसेसर इनपुट/आउटपुट एण्ड डीएमए। मैमोरी ऑरगनाइजेशन एण्ड कैश कोहैरेन्स।

(x) **ऑपरेटिंग सिस्टम्स:** सीपीयू शेड्यूलिंग, डेडलॉक्स, मैमोरी मैनेजमेंट, फाईल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग। कंसेप्ट्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आरकिटेक्चर इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेन्ट एण्ड आरपीसी। प्रोसेस, थ्रेड्स एण्ड देयर सिंक्रोनाइजेशन। रियल टाइम ओएस: क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एण्ड टारक शेड्यूलिंग, सिस्टम इनीश्यलाइजेशन, बूटिंग एण्ड हैंडलिंग यूजर अकाउन्ट्स, बैकअप एण्ड रिस्टोर, बोर्न शैल प्रोग्रामिंग फोर लाईनेक्स।

(xi) **डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम:** ई-आर मॉडल्स, रिलेशनल एलजेब्रा, केल्क्यूलस एण्ड डाटाबेसेस, इन्टेग्रिटी कन्सट्रेन्ट्स, ट्रिगर्स, नोरमलाइजेशन एण्ड इन्डेक्शन। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, कॉन्करेन्सी कन्ट्रोल एण्ड रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेन्ट सिस्टम (आरडीबीएमएस)।

(xii) **सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग:** फेजेज ऑफ सिस्टम डवलपमेण्ट लाइफ साइकल। सिस्टम मॉडलिंग। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेशन्स एण्ड डीएफडी। इन्ट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट।

(xiii) **डाटा एण्ड कम्प्यूटर नेटवर्क्स:** इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, डाटा कम्प्यूनिकेशन टर्मिनोलोजी, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेज। टीसीपी/आईपी एण्ड ओएसआई/आईएसओ रेफरेन्स मॉडल्स, फंक्शन्स ऑफ डिफरेन्ट लेयर्स, करक्टरस्टिक्स

6

ऑफ फिजिकल मीडिया, मल्टीप्लेक्सिंग इन फिजिकल लेयर, मीडियम एक्सेज प्रोटोकॉल्स, इन्ट्रोडक्शन दू 802.3, 802.4, 802.5, 802.11, एलएएन टेक्नोलॉजीज, आईपी प्रोटोकॉल इन्वलूडिंग राउटिंग एण्ड कन्जेशन कन्फ्रोल, टीसीपी एण्ड यूडीपी, डीएनएस.

(xiv) **नेटवर्क सिक्योरिटी:** ग्रुप्स, रिंग्स एण्ड फील्ड्स इन फाइबराइट स्पेस, इयूलर एण्ड फरमैट थ्योरम, प्राइमलिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज एण्ड मैकेनिज्म, सिमेट्रिक एण्ड एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन इन्वलूडिंग डीईएस, एईएस, आईडीईए, आरएसए एलगोरियम्स, की-मैनेजमेंट इन सिमेट्रिक एण्ड एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन, मैसेज ऑथेन्टिकेशन एण्ड हैशिंग, ई-मेल सिक्योरिटी, वाइरसेज एण्ड ट्रस्टेड सिस्टम, नेटवर्किंग (लेन एण्ड वेन) सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग।

(xv) **बेसिक्स ऑफ कम्यूनिकेशन:** चैनल कैपेसिटी, अटेन्यूएशन, कम्यूनिकेशन इमपेयरमेन्ट्स, प्रोपोगेशन ऑफ इएम वेब्स थू फी स्पेस (एक्सक्लूडिंग फी स्पेस मॉडल्स)। पीसीएम एण्ड डेल्टा मोड्यूलेशन, डब्लूडीएम, ब्रीफ इन्ट्रोडक्शन दू जीएसएम, एण्ड सीडीएमए बेरड कम्यूनिकेशन सिस्टम।

(xvi) **वेब डवलपमेण्ट:** एचटीएमएल/डीएचटीएमएल, वेब पेज ऑथरिंग यूजिंग एचटीएमएल, डॉक्यूमेन्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, कंसेप्ट एण्ड इम्पोर्टेन्स ऑफ डॉक्यूमेन्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनेमिक एचटीएमएल डॉक्यूमेन्ट एण्ड डॉक्यूमेन्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। इन्ट्रोडक्शन दू कैसकेडिंग स्टाइल शीट (सीएसएस), एक्सटेन्सिबल मार्कअप लैंगवेज (एक्सएमएल), बेसिक ऑफ पीएचपी एण्ड जावा स्क्रिप्ट।



प्रश्नपत्रों का पाठ्य विवरण और विस्तारः परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/बोर्ड/ या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को, नियत समय के भीतर-भीतर ऐसी रीति से जो आयोग/बोर्ड/ या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

### 11. बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरणः

परीक्षा 200 अंकों की होगी। दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा।

#### प्रश्नपत्र-I

1. प्रश्नपत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा।
2. प्रश्नपत्र की अवधि 2 घण्टों की होगी।
3. प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे।
4. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय होंगे:-

(i) कला एवं संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामाज्य विज्ञान और राजस्थान के समसामयिक मामले।

(ii) सामाज्य योग्यता में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होंगे:-

क. लॉजिकल रीजनिंग एण्ड एनालिटिकल एबीलिटी

ख. डिसिजन मेकिंग एण्ड प्रोब्लम सोल्विंग

ग. सामाज्य बौद्धिक योग्यता

घ. बेसिक व्यूमरेसी- नम्बर एण्ड देयर रिलेशन, आर्डर ऑफ मैग्निट्यूड, इत्यादि (कक्षा-X स्तर)

ड. डाटा इन्टरप्रिटेशन-चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स डाटा सफिशियन्सी, इत्यादि (कक्षा-X स्तर)

5. उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जायेगा।

**स्पष्टीकरण:** किसी प्रश्न के लिए दिये गये बहुविकल्पों में से दिया गया अशुद्ध उत्तर गलत उत्तर माना जायेगा।

**6. प्रश्नपत्रों का पाठ्य विवरण और विस्तार:** परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/बोर्ड/ या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को, नियत समय के भीतर-भीतर ऐसी रीति से जो आयोग/बोर्ड/ या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

## प्रश्नपत्र-II

1. प्रश्नपत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा।

2. प्रश्नपत्र की अवधि 2 घण्टों की होगी।

3. प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे।

4. उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जायेगा।

**स्पष्टीकरण:** किसी प्रश्न के लिए दिये गये बहुविकल्पों में से दिया गया अशुद्ध उत्तर का गलत उत्तर ही होगा।

5. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:-

(i) पेडगोजी

(ii) **बौद्धिक योग्यता:** डिसिजन मेकिंग एण्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफिशियन्सी, लॉजिकल रीजनिंग एण्ड एनालिटिकल एबीलिटी, मेजर डबलपमेण्ट इन द फील्ड ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी

(iii) **फण्डामेंटल्स ऑफ कम्प्यूटर:** ओवर व्यू ऑफ कम्प्यूटर सिस्टम इनक्लूडिंग इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज, पॉइन्टिंग डिवाइसेज एण्ड रकेनर। रिप्रेजेशन ऑफ डाटा (डिजिटल वर्सेज एनालॉग, नम्बर सिस्टम-डेसिमल, बाइनरी एण्ड हेक्साडेसिमल), इन्ट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग, कंसेप्ट ऑफ फाइल्स एण्ड इट्स टाइप्स।



(iv) **डाटा प्रोसेसिंग:** वर्ड प्रोसेसिंग (एमएस-वडी), स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर (एमएस-एक्सेल), प्रजेंटेशन सॉफ्टवेयर (एमएस-पावर पॉइंट), डीबीएमएस सॉफ्टवेयर (एमएस-एक्सेस)।

(v) **प्रोग्रामिंग फण्डामेंटल्स:** इन्ट्रोडक्शन दू सी, सी++, जावा, डॉटनेट, आर्टिफिशियल इन्डेलिङेंस (एआई), मशीन लर्निंग, पाइथन एण्ड ब्लॉक चैन, प्रिंसिपल एण्ड प्रोग्रामिंग टेक्नीक्स, इन्ट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरियन्टेड प्रोग्रामिंग (ओओपी) कंसेप्ट। इन्ट्रोडक्शन दू “इनटीग्रेटेड डवलपमेण्ट इन्वायरमेंट” एण्ड इट्स एडवांटेज।

(vi) **डाटा स्ट्रक्चर्स एण्ड एलगोरियम:** एलगोरियम फॉर प्रोब्लम सोल्विंग, एब्सट्रेक्ट डाटा थार्फ्स, एरेज एज डाटा स्ट्रक्चर्स, लिंक लिस्ट वर्सेज ऐरे फोर स्टोरेज, स्टैक और स्टैक ऑपरेशन्स, क्यूज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, ग्राफ्स एण्ड देयर रिप्रजेंटेशन, सॉर्टिंग एण्ड सर्चिंग, सिम्बल टेबल। डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एण्ड सी++।

(vii) **कम्प्यूटर ऑरगनाइजेशन एण्ड ऑपरेटिंग सिस्टम:** बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कम्प्यूटर, कम्प्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन, सेन्ड्रल प्रोसेसिंग यूनिट एण्ड इन्स्ट्रक्शन, मैमोरी ऑरगनाइजेशन, आई/ओ ऑरगनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑवरब्यू, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइँडिंग एण्ड प्रोसेसिंग फाइल्स।

(viii) **कम्प्यूनिकेशन एण्ड नेटवर्क कंसेप्ट्स:** इन्ट्रोडक्शन दू कम्प्यूटर नेटवर्क, इन्ट्रोडक्शन: नेटवर्क लेयर/मॉडल्स, नेटवर्किंग डिवाइसेज, फण्डामेंटल्स ऑफ मोबाइल कम्प्यूनिकेशन।

(ix) **नेटवर्क सिक्योरिटी:** प्रोटोकिंग कम्प्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम वाइरस एण्ड मेलीशियस अटैक, इन्ट्रोडक्शन दू फायरवॉल एण्ड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एण्ड रीस्टोरिंग डाटा, नेटवर्किंग (लेन एण्ड वेन), सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग।

(x) **डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम:** एन ऑवरब्यू ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट, आरकिटेक्चर ऑफ डाटाबेस सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (आरडीबीएमएस), डाटाबेस डिजाइन, मैन्युप्यूलेटिंग डाटा, एनओएसक्यूएल डाटाबेस टेक्नोलॉजीज, सलेक्टिंग राइट डाटाबेस।

(xi) **सिस्टम एनालिसिस एण्ड डिजाइन:** इन्ट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एण्ड फिजीबिलीटी एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड डिजाइन, ऑब्जेक्ट-ओरियन्टेड

6W

मॉडलिंग यूजिंग यूएमएल, टेरिटंग, सिस्टम इमप्लीमेन्टेशन एण्ड मेनेजमेन्ट, अदर सॉफ्टवेयर डवलपमेण्ट अप्रोचेज।

(xi) **इन्टरनेट ऑफ थिंग्स एण्ड इट्स एप्लीकेशन:** इन्ट्रोडक्शन ऑफ इन्टरनेट टेक्नोलॉजी एण्ड प्रोटोकॉल, लेन, मेन, वेन सर्च सर्विसेज/ इंजन, इन्ट्रोडक्शन दू ऑन लाइन एण्ड ऑफ लाइन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर, वेब पब्लिशिंग, बेसिक नॉलेज एचटीएमएल, एक्सएमएल एण्ड स्क्रिप्ट्स क्रियेशन एण्ड मेनेजमेन्ट ऑफ वेबसाइट्स, एचटीएमएल इन्टरएक्टिविटी दूस्स, मल्टीमीडिया एण्ड ग्राफिक्स, वॉयस मेल एण्ड विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग इन्ट्रोडक्शन दू ई-कॉमर्स।

**प्रश्नपत्रों का पाठ्य विवरण और विस्तार:** परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान रिकार्ड चयन बोर्ड/ या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को, नियत समय के भीतर-भीतर ऐसी रीति से जो आयोग/ राजस्थान रिकार्ड चयन बोर्ड/ या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

  
(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

2/2022

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : सिविता-सा/माय/व-१/की बी (प्र.) संख्या ८०५३/१० तो. रेखांग यादव बनाम संस्कार य अम्ब/१० दिनांक : २४.२.०८

शहरी उप समिति-

शिक्षा (मुप-१) विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

**विषय—** कम्प्यूटर शिक्षकों की लिए अध्यात्म विधि विज्ञान के सम्बन्ध में।

**प्रस्ताव—** अधिकार पत्र नम्बर प.४(४)विभा-१/कम्प्यूटर/२०१० पाई २ जयपुर, दिनांक : १०.०२.२०२०  
महोदय।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्राचीनिक पत्र को इस ने कम्प्यूटर शिक्षकों को लिए अध्यात्म विधि एवं वाहित प्रस्ताव निम्नानुसार है—

**कम्प्यूटर शिक्षक की पढ़ वी आवश्यकता—**

- छक्का ९ एवं १० की पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर शिक्षन अनिवार्य विषय के कल्प में सम्बन्धित है। छक्का— ९ एवं १० में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमौर द्वारा पाठ्यक्रम निर्दिष्ट किया जाकर उक्त दोनों कक्षाओं के लिए युक्तिके क्रमान् “सूचना प्रौद्योगिकी” ही अध्यारणा—II के लिए “सूचना प्रौद्योगिकी” की अध्यारणा—II” से साम से उपलब्ध करता है। इसके तहत ७० प्रतिशत अवधार सैद्धान्तिक एवं ३० प्रतिशत अवधार प्राचीनिक उपयोगी हेतु प्रदान किया गया है।
- छक्का ११ एवं १२ में कम्प्यूटर शिक्षन देशभूमिका विषय के कल्प में ली जा सकती है। छक्का ११ एवं १२ में रीतरे प्रौद्योगिक विषय के कल्प में छक्का “सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी—I” हेतु “सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी—II” “वै नाम-से बोर्ड द्वारा शास्त्र एवं युक्ति का उपलब्ध करता है। ऐसांतर विषय का उपयन दीनों राजाओं के लिए विषय-क्रमान्तरी” तथा अपनाहा नार पृष्ठ इकापार वी अन्य वैकाशिक विषयों के समान होते हैं।
- विद्यालयों में ऑनलाइन पोर्टल या शालादर्श, शाला सिद्धांद, बृ-इकाइ, लग्न, पे-गोवर आदि का नियमित उपयोग होता है, जिसे ऐसी विषय के उपयोग द्वारा इस कम्प्यूटर के कार्यों में अपना समय देना होता है, जिससे उसका स्वर्ण का अवृद्धि करते प्रभावित होता है।
- छक्का १ से ८ तक कम्प्यूटर विषय के कल्प में या सम्बन्धित नहीं है परन्तु विद्यार्थियों में कम्प्यूटर का प्राचीनिक ज्ञान उपलब्ध करवाया जाना उपर्युक्त है। विषय में कम्प्यूटर के कार्यों से शिक्षण को प्रभावी एवं सहज बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों में कम्प्यूटर के व्यवहारिक होने हेतु व्याय-समय पर कम्प्यूटर से सीखने की योजनाएँ यथा “विलक्षण (Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge) योजना” तथा कल्प (CALP) योजना उच्च प्राचीनिक कक्षाओं हेतु लागू की गई। वर्तमान समय में सुधृ प्राचीनिक कक्षाओं के विद्यार्थी भी तकनीकी का प्रयोग व्यावहारिक जीवन में करते हैं। इसलिए विषयों के शिक्षण में सहजता एवं कीर्ति निर्माण के लिए कम्प्यूटर उपयोगी होता है।
- अधिकांश माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न योजनाओं के सहत कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गये हैं, जैसे आईसीटी, कल्प, विलक्षण आदि। आईसीटी योजना के फैज पूर्ण होने पर सेवाप्रदाता कर्म द्वारा उक्त कम्प्यूटर लैब मय कम्प्यूटर सीट विद्यालयों को हस्तानारित कर दिये जाते हैं। विशेषज्ञ शिक्षकों के अभाव में इनका पूर्ण व्योग्यता उपयोग नहीं हो पाता है। आईसीटी योजना के सहत सात घण्टे के अन्त तक सिंगमग 10739 माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई है।

**नोट—** विज्ञान सकारात्मक अन्य विषयों की प्रयोगशालाओं की तरह कम्प्यूटर प्रयोगशाला के रख-रखाव (MAINTENANCE) के लिये वर्तमान में नियमित आवर्तक (RECURRING) बजट का प्राक्षणन नहीं है।

**विभागीय प्रस्ताव — नियमित कम्प्यूटर शिक्षक के फैट्र का प्राक्षण —**

- प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक कम्प्यूटर शिक्षक का प्राक्षण होना चाहिए, जो विद्यालयीकी योग्यता प्राप्ति हो। यह कम्प्यूटर शिक्षक छक्का ९ एवं १० में कम्प्यूटर शिक्षण का कार्य करेगा तथा विद्यालय के समस्त ऑनलाइन कार्यों तथा कम्प्यूटर लैब का प्रभारी होगा। अतः भर्ती नियमों में कम्प्यूटर शिक्षक वर्ष पद संवर्गित करना तथा पद सूजन हेतु मानवण्ठ का निर्धारण करना निम्नानुसार प्रस्तावित है—

**कम्प्यूटर शिक्षक योग्यता भेदी**

भर्ती का तरीका – राज प्रतिशत सीधी भर्ती।  
योग्यता :-

विषि द्वारा स्थापित विद्यालय में कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक योग्यता (B.E. in Computer Science, B.Tech in Computer Science, B.T. in Information Technology, B.Tech in Information Technology, B.Sc. in Computer Science, B.Sc. in Information Technology, Bachelor in Computer Application)।

कार्यक्षेत्र – राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय

कार्य – कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का प्रायोगिक एवं सेद्वानिक शिक्षण कार्य, विद्यालय के समस्त ऑनलाईन कार्य तथा कम्प्यूटर लैंड का प्रभार तथा संरचनाएँ द्वारा उपयोग से तकनीकी कार्य।

**कम्प्यूटर शिक्षक योग्यता द्वितीय**

भर्ती का तरीका – 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति।

योग्यता :-

सीधी भर्ती हेतु

विषि द्वारा स्थापित विद्यालय में कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक योग्यता (B.E. in Computer Science, B.Tech in Computer Science, B.T. in Information Technology, B.Tech in Information Technology)

**शास्त्रीय समाचार राजस्थान**

पदोन्नति हेतु

उपर्युक्त सीधी भर्ती की योग्यता के अतिरिक्त, कम्प्यूटर शिक्षक योग्यता भेदी के रूप में कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव पर वरिष्ठता से।

कार्यक्षेत्र – राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां कक्ष 9 एवं 10 का नामांकन 120 से अधिक है।

कार्य – कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का प्रायोगिक एवं सेद्वानिक शिक्षण कार्य, विद्यालय के समस्त ऑनलाईन कार्य तथा कम्प्यूटर लैंड का प्रभार तथा संरचनाएँ द्वारा उपयोग से तकनीकी कार्य।

**कम्प्यूटर विज्ञान व्याख्याता स्फूर्ति शिक्षा**

भर्ती का तरीका – 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति।

योग्यता :-

विषि द्वारा स्थापित विद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर योग्यता (M.E. in Computer Science, M.Tech in Computer Science, M.E. in Information Technology, M.Tech in Information Technology, Master in Computer Application(MCA))।

पदोन्नति हेतु

उपर्युक्त सीधी भर्ती की योग्यता के अतिरिक्त, कम्प्यूटर शिक्षक द्वितीय भेदी के रूप में कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव पर वरिष्ठता से।

कार्यक्षेत्र – राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां किसी संवाद में एकलिंग विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान संवादित हो। अतिरिक्त एकलिंग विषय का यद सूचन केवल स्टाफिंग पैटर्न मानदण्ड के अनुसार होगा।

कार्य – कक्ष 09 – 12 में कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का प्रायोगिक एवं सेद्वानिक शिक्षण कार्य, विद्यालय के समस्त ऑनलाईन कार्य तथा कम्प्यूटर लैंड के प्रभारी के रूप में कार्य तथा संरचनाएँ द्वारा उपयोग से तकनीकी कार्य।

पदों के सुजन एवं आवश्यकता हेतु प्रस्तावित मानदण्ड

पदनाम	पदों की संख्यात्मक आवश्यकता	विवि
कम्प्यूटर शिक्षक योग्यता	10985 विद्यालयों में	कुल 14601 में से 3616 विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 का कुल नामांकन 120 से अधिक है।
कम्प्यूटर शिक्षक योग्यता	3616 विद्यालयों में	-
प्रारम्भिक कम्प्यूटर शिक्षा	प्रत्येक वर्ष में शुभ्य	वर्तमान में शुभ्य वैकल्पिक विषय के क्षेत्र में कम्प्यूटर विज्ञान आवंटित नहीं है।

नोट— नवीन विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा योग्यता का पद स्थीरत किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त परिवेद्य में प्राचारिक पत्र के द्वारा में कम्प्यूटर शिक्षक के पद सुजन हेतु मानदण्ड एवं योग्यता के प्रारम्भिक प्रस्ताव आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



प्रतिलिपि—

- अनुसन्धानकारी, छोड़ा उन्नास कार्यालय का उन्नास योग्य विविरा/मा./विवि/बी-२/जप. ३०४८ दी/२०१९/३० तिथि ३१.०१.२०२० तो संग्रह।
- अनुसन्धानकारी, अनुसन्धान विभाग, राजस्थान कार्यालय का उन्नास अ.वि. कामांक— विविरा/माध्य/वरिष्ठता ३०-४ / कम्प्यूटर / ३०-४ / कम्प्यूटर/ २०२० - २०२१ के ११.०२.२०२० तो द्वारा में आगामी आवश्यक घोषित हुए।
- अनुसन्धानकारी, राजस्थान विवि अनुभाव, कामांक इच्छा।
- रक्षित विवाहिती।

भावीय  
(रामेश्वर स्वामी)

L.A.S.

निदेशक  
मार्यादिक विज्ञा राजस्थान  
बीकानेर

BB

निदेशक  
मार्यादिक विज्ञा राजस्थान  
बीकानेर

542

**राजस्थान सरकार**  
**शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग**

लम्हा. प. 14(4) [शिक्षा-1 / कम्प्यूटर शिक्षक / 2020]

जयपुर, दिनांक : 17/10/2021

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर।

**विषय :-** बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पद सृजन एवं कैडर निर्धारित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित पदों के सृजन किये जाने एवं इन पदों को नियमानुसार नियमित भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	पद नाम	ये मैट्रिक्स लेवल	पदों की संख्या
1	बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक (Basic Computer Instructor)	L-8	9862
2	वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक (Senior Computer Instructor)	L-10	591

यह सहमति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102104237 दिनांक 28.08.2021 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

उक्त पदों हेतु निम्नानुसार कैडर निर्धारित किया जाता है :-

क्र.सं.	पद नाम	ये मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित किये गये कैडर स्तर
1	बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक (Basic Computer Instructor)	L-8	जिला स्तर
2	वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक (Senior Computer Instructor)	L-10	संभाग स्तर

भवदीय,

  
(प्रवीण कुमार लेखरा)  
०१८ संयुक्त शासन सचिव

**प्रतिलिपि :** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
7. संयुक्त निदेशक, जनशक्ति विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव / वरिष्ठ शासन उप सचिव / शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6) विभाग।
9. संयुक्त विधि परामर्शी, स्कूल शिक्षा विभाग।
10. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
11. उपनिदेशक, योजना, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
12. उपनिदेशक (मूल्यांकन), शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

  
(डॉ. रणवीर सिंह)  
विशेषाधिकारी—शिक्षा

०१९

### **Scheme and syllabus of competitive examination for the posts of Senior Computer Instructor:-**

The examination shall carry 100 marks. There will be two papers. Paper-I shall be of 100 marks and paper-II shall be of 100 marks.

#### **Paper -I**

1. The question paper will carry maximum 100 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subject:-
  - (i) Art & Culture, History, Geography, General Science and Current Affairs of Rajasthan.
  - (ii) General Ability in include following point :-
    - A. Logical Reasoning and Analytical Ability.
    - B. Decision Making and Problem Solving.
    - C. General Mental Ability.
    - D. Basic Numeracy - Numbers and their relations, orders of magnitude, etc. (Class X level)
    - E. Data Interpretation - Charts, Graphs, Tables, Data Sufficiency, etc. (Class X level)
5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer 0.5 of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer of multiple answer.

**Syllabus and Scope of Papers:** - The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission/ Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority as the case may be, from time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission/ Rajasthan Staff Selection Board/ Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

#### **Paper -II**

1. The question paper will carry maximum 100 marks.
  2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
  3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
  4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer 0.5 of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
- Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer of multiple answer.
5. Paper shall include following subject:-
    - (i) Pedagogy
    - (ii) **Mental Ability:** Decision making and Problem solving, Data Interpretation, Data Sufficiency, Logical Reasoning and Analytical Ability, Major developments in the field of Information Technology.
    - (iii) **Basic numeracy** - numbers and their relations, orders of magnitude, etc. (Class X level)
    - (iv) **Data Interpretation** - charts, graphs, tables, data sufficiency, etc. (Class X level)
    - (v) **Fundamentals of Computer:** Number system, arithmetic operations, introduction to various categories of computer language, functional details of Input and Output devices.
    - (vi) **Programming Fundamentals :** C, C++, Java, DotNet, Artificial Intelligence (AI), Machine learning, Python and Block Chain programming, data types (Built in and user defined), Scope of variables, precedence of operators, control flow, functions, arrays pointers, structures and unions, enumerated data-types and file handling, command line arguments.
    - (vii) **Object Oriented Programming using C++ and JAVA:** Objects and classes, Inheritance, polymorphism, event and exceptions handling, files and streams.
    - (viii) **Data structures and Algorithms:** Abstract data types, Arrays as data structures, linked list v/s array for storage, stack and stack operations, queues, binary trees, binary search trees, graphs and their representations, sorting and searching, symbol table.
    - (ix) **Algorithms:** Tree traversals, Branch and bound and greedy methods, complexity of algorithms.
    - (x) **Digital Logic Systems:** Boolean expressions, K-maps, TTL and CMOS logic families, combinational logic design using half full adders, Sub tractors, and multiplexer, synchronous sequential system design
    - (xi) **Computer Organization and Architecture:** Von-Neumann architecture of computers. Registers and micro operations, control logic, processor addressing and bus organization. Processor input/output and DMA. Memory organization and cache coherence.
    - (xii) **Operating Systems:** CPU scheduling, Deadlocks. Memory management, file systems, disk scheduling. Concept of Client server architecture in distributed environment and RPC. Process, threads and their synchronization.  
Real Time OS: clock synchronization and task scheduling.  
System initialization, booting and handling user accounts. Backup and restore, Bourne shell programming for Linux.

- (xiii) **Database Management System:** E-R models, Relational algebra, calculus and databases. Integrity constraints, triggers, normalization, and indexing. Transaction processing, concurrency control and Relational Database Management System (RDBMS).
- (xiv) **Software Engineering:** Phases of System Development Life Cycle. System modeling. Software requirement specifications and DFDs. Introduction to software testing, software project management.
- (xv) **Data and computer networks:** Evolution of Networking, Data Communication terminologies, Transmission media, Network devices. TCP/IP & OSI/ISO reference models, functions of different layers, characteristics of physical media, multiplexing in physical layer, medium access protocols, introduction to 802.3, 802.4, 802.5, 802.11 LAN technologies, IP protocol including routing and congestion control, TCP and UDP, DNS.
- (xvi) **Network Security:** Groups, rings and fields in finite space, Euler and Fermat's theorem, primality testing, security services and mechanisms, symmetric and asymmetric encryption including DES, AES, IDEA, RSA algorithms, key management in symmetric and asymmetric encryption, message authentication and hashing, email security, viruses and trusted systems, Networking (LAN&WAN), Security, Ethical Hacking.
- (xvii) **Basics of communication:** Channel capacity, attenuation, communication impairments, propagation of EM waves through free space (excluding free space models), PCM and delta modulation, WDM, brief introduction to GSM and CDMA based communication systems.
- (xviii) **Web Development:** HTML/DHTML, Web Page Authoring Using HTML, Document Object Model Concept and Importance of Document Object Model, Dynamic HTML document and Document Object Model. Introduction to Cascading Style Sheet (CSS), Extensible Markup Language (XML), Basic of PHP and Java Script.

**Syllabus and Scope of Papers:** - The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission/ Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority as the case may be, from time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission/ Rajasthan Staff Selection Board/ Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

**राजस्थान सरकार**  
**शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग**

क्रमांक प. 4(4)शिक्षा-1 / कम्प्यूटर शिक्षक / 2020

जयपुर, दिनांक : 18/10/2021

अध्यक्ष,

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,  
राज्य कृषि प्रबन्ध संसाधन परिसर,  
दुर्गापुरा, जयपुर।

विषय :- बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती  
के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक : प. 14( ) RSSB / अर्थना / स्कूल शिक्षा / कम्प्यू.अनु. /  
भर्ती / 2021 / 1189 दिनांक 06.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रेषित संदर्भित प्रस्ताव के अनुसरण में निवेदन है कि  
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित पदों पर नियमित भर्ती की जानी है :-

क्र.सं.	पद नाम	पे मैट्रिक्स लेवल	पदों की संख्या	पद का कैडर
1	बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक (Basic Computer Instructor)	L-8	9862	जिला स्तर
2	वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक (Senior Computer Instructor)	L-10	295	संभाग स्तर

उक्त पदों पर भर्ती किये जाने हेतु RSSB को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया जाता है।  
प्रस्तावित भर्ती हेतु पदवार पृथक-पृथक परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम तथा पदों की स्वीकृति  
का पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

इन पदों की भर्ती से संबंधित नियमों की अद्यतन प्रति एवं पदवार अर्थना पृथक से प्रेषित  
की जायेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
(प्रवीण कुमार लेखरा)  
संयुक्त शासन सचिव

# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(101)RSSB / अर्थना / स्कूल शिक्षा / कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती / 2021 / 136

दिनांक : ०१.०२.२०२२

विज्ञापन सं. 02 / 2022

## बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022

माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिये राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं :-

कं.सं.	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक	8974	888	9862
2.	वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक	282	13	295
	कुल	9256	901	10157

### विशेष नोट :-

- (1) Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यीन परिवर्तनीय होगी।

**1. आवेदन प्रक्रिया:-** आवेदन Online Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बना ले एवं SSO ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाईट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमें ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर [www.sso.rajasthan.gov.in](http://www.sso.rajasthan.gov.in) पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के उपरांत उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोल कर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई-मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र सेवा प्रदाता को नियमानुसार सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाइन आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन-पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

### नोट:-

1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।

3. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के **preview** को आवेदन **submit** न मानें।
4. कृपया ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।
5. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।

## **2. आवेदन एवं परीक्षा शुल्कः—** आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।

- (क) सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —रूपये 450/-  
 (ख) राजस्थान के नॉन कीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु —रूपये 350/-  
 (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु —रूपये 250/-  
 (घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 250/-—देय है।(कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य देखें।)

**नोटः—**

- 1.राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
- 2.फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
3. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रूपये 250/- ही जमा करते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

## **3. प्रवेश पत्रः—**बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही आनेलाइन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

(क) बोसिक कम्प्यूटर अनुदर्शक की रिक्तियों का जिलेवार एवं वर्गवार वर्गीकृत विवरण:- (गैर अनुसूचित क्षेत्र)

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल पट	सामान्य	अनारक्षित वर्ग		EWS वर्ग कुल 10	SC वर्ग कुल 16 प्रतिशत	ST वर्ग कुल 12 प्रतिशत	OBC वर्ग कुल 21 प्रतिशत	MBC वर्ग कुल 05 प्रतिशत	हरिया आदिम जाति वर्ग	निःशक्तजन कुल 4 प्रतिशत																														
				महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत		महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत																																				
				महिला 30 प्रतिशत	सामान्य महिला		विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य		महिला 30 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)																													
1	AJMER	451	116	49	33	13	3	32	13	9	4	0	50	21	15	5	1	38	16	11	4	1	66	28	19	8	1	16	6	5	1	0	0	0	0	0	5	5	5	4	54	9
2	ALWAR	499	126	54	37	14	3	35	15	10	4	1	56	24	17	6	1	42	18	12	5	1	73	31	21	8	2	18	7	5	2	0	0	0	0	0	5	5	5	5	60	9
3	BARAN	129	36	15	10	4	1	9	3	2	1	0	7	2	2	0	0	5	2	2	0	0	9	3	2	1	0	5	1	1	0	0	23	9	7	2	0	2	1	1	15	2
4	BARMER	458	118	50	34	13	3	32	13	9	4	0	52	21	15	5	1	38	16	11	4	1	68	28	19	8	1	16	6	5	1	0	0	0	0	0	5	5	5	4	55	9
5	BHARATPUR	235	61	26	18	7	1	17	6	5	1	0	26	11	8	3	0	20	8	6	2	0	35	14	10	4	0	8	3	2	1	0	0	0	0	0	3	2	2	2	28	4
6	BHILWARA	475	122	52	35	14	3	33	14	10	4	0	53	22	15	6	1	40	17	12	4	1	70	29	20	8	1	17	6	5	1	0	0	0	0	0	5	5	5	4	57	9
7	BIKANER	251	66	27	19	7	1	18	7	5	2	0	28	11	8	3	0	21	9	7	2	0	37	15	10	4	1	9	3	2	1	0	0	0	0	0	3	3	3	2	30	5
8	BUNDI	225	59	24	17	6	1	16	6	5	1	0	25	10	7	3	0	19	8	6	2	0	33	14	10	4	0	8	3	2	1	0	0	0	0	0	3	2	2	2	27	4
9	CHITTORGARH	179	47	20	14	5	1	13	5	4	1	0	20	8	6	2	0	15	6	5	1	0	26	11	8	3	0	6	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	21	3	
10	CHURU	453	116	49	33	13	3	32	13	9	4	0	51	21	15	5	1	38	16	11	4	1	67	28	19	8	1	16	6	5	1	0	0	0	0	5	5	5	4	54	9	
11	DAUSA	150	40	17	12	4	1	10	4	3	1	0	17	6	5	1	0	13	5	4	1	0	22	9	7	2	0	5	2	2	0	0	0	0	0	2	2	1	1	18	3	
12	DHAULPUR	170	45	18	12	5	1	12	5	4	1	0	19	8	6	2	0	14	6	5	1	0	25	10	7	3	0	6	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	1	20	3	
13	GANGANAGAR	270	70	29	20	8	1	19	8	6	2	0	31	12	9	3	0	23	9	7	2	0	40	16	11	4	1	10	3	2	1	0	0	0	0	0	3	3	2	32	5	
14	HANUMANGARH	281	73	30	20	8	2	20	8	6	2	0	31	13	9	4	0	24	9	7	2	0	42	17	12	4	1	10	4	3	1	0	0	0	0	0	3	3	3	34	5	
15	JAIPUR	657	168	72	49	19	4	46	19	13	5	1	74	31	21	8	2	55	23	16	6	1	96	41	28	11	2	23	9	7	2	0	0	0	0	0	7	7	7	6	79	13
16	JAISALMER	100	26	10	7	3	0	7	3	2	1	0	12	4	3	1	0	9	3	2	1	0	15	6	5	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	12	2		
17	JALORE	300	76	32	22	8	2	21	9	7	2	0	34	14	10	4	0	26	10	7	3	0	45	18	12	5	1	11	4	3	1	0	0	0	0	3	3	3	3	36	6	
18	JHALAWAR	229	60	25	17	7	1	16	6	5	1	0	26	10	7	3	0	19	8	6	2	0	34	14	10	4	0	8	3	2	1	0	0	0	0	0	3	2	2	27	4	
19	JHUNJHUNU	466	120	51	35	13	3	33	13	9	4	0	52	22	15	6	1	39	16	11	4	1	68	29	20	8	1	17	6	5	1	0	0	0	0	5	5	5	4	56	9	
20	JODHPUR	474	122	52	35	14	3	33	14	10	4	0	53	22	15	6	1	40	16	11	4	1	70	29	20	8	1	17	6	5	1	0	0	0	0	5	5	5	4	57	9	
21	KARRAU	95	26	10	7	3	0	7	2	2	0	0	11	4	3	1	0	8	3	2	1	0	14	6	5	1	0	0	0	0	1	1	1	1	11	1						

भूतपूर्व सैनिक कुल 12.5 प्रतिशत<sup>उत्कृष्ट खिलाड़ी 2 प्रतिशत</sup>

(अ) दृष्टिवाचित (1%)

(ब) प्रवणवाचित (1%)

(स) सेरेब्रलपाल्मी, कुर्करोग, बीनापन, एसिडोपीडित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त घलन-निःशक्तता (1%)

(द) ऑटिज्म, गोद्धुक निःशक्तता, लॉर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रुग्णता (इ) बहु दिव्यांगता (एम बी) (1%)

22	KOTA	222	58	24	17	6	1	16	6	5	1	0	25	10	7	3	0	19	7	5	2	0	33	13	9	4	0	8	3	2	1	0	0	0	0	0	3	2	2	2	26	4	
23	NAGAUR	400	101	43	29	12	2	28	12	9	3	0	45	19	13	5	1	34	14	10	4	0	59	25	17	7	1	14	6	5	1	0	0	0	0	0	4	4	4	4	48	8	
24	PALI	425	109	46	31	12	3	30	12	9	3	0	47	20	14	5	1	36	15	10	4	1	63	26	18	7	1	15	6	5	1	0	0	0	0	5	4	4	4	51	8		
25	RAJASMAND	262	68	28	19	8	1	19	7	5	2	0	29	12	9	3	0	22	9	7	2	0	39	16	11	4	1	10	3	2	1	0	0	0	0	3	3	3	2	31	5		
26	MADHOPUR	168	45	18	12	5	1	12	4	3	1	0	19	7	5	2	0	14	6	5	1	0	25	10	7	3	0	6	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	1	20	3		
27	SIKAR	475	122	52	35	14	3	33	14	10	4	0	53	22	15	6	1	40	17	12	4	1	70	29	20	8	1	17	6	5	1	0	0	0	0	5	5	4	57	9			
28	SIROHI	128	35	14	10	4	0	9	3	2	1	0	14	6	5	1	0	11	4	3	1	0	19	7	5	2	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	2	1	1	15	2		
29	TONK	200	51	21	15	5	1	14	6	5	1	0	23	9	7	2	0	17	7	5	2	0	30	12	9	3	0	7	3	2	1	0	0	0	0	0	2	2	2	2	24	4	
30	UDAPUR	147	40	16	11	4	1	10	4	3	1	0	17	6	5	1	0	12	5	4	1	0	21	9	7	2	0	5	2	2	0	0	0	0	0	2	2	1	1	17	2		
TOTAL		8974	2322	974	665	258	51	632	254	186	66	2	1000	408	291	105	12	751	308	222	76	10	1314	543	378	147	18	320	116	93	23	0	23	9	7	2	0	101	98	92	79	1072	168

ब) बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक की रिकितयों का जिलेवार एवं वर्गवार वर्गीकृत विवरणः—(अनुसूचित क्षेत्र)

अनारक्षित वर्ग		SC वर्ग कुल 5 प्रतिशत		ST वर्ग कुल 45 प्रतिशत		निःशक्तजन कुल 4 प्रतिशत																	
क्र. सं.	जिले का नाम	कुल पद	सामान्य		महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत		महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत																
			महिला 30 प्रतिशत		महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत																		
			सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	सामान्य	महिला 30 प्रतिशत	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत																
				परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत																
					सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत																
						परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत																
						(अ) दृष्टिबाधित (1%)	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत																
						(ब) श्रवणबाधित (1%)	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत																
						(स) सेरेब्रलपाल्सी, कुच्छरोग, बौनापन, एसिडपीडित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन—निःशक्तता (1%)	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत																
						(द) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रूग्णता (इ) बहुदिव्यांगता (एम डी) (1%)	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत																
							भूतपूर्व सैनिक कुल 12.5 प्रतिशत																
							उत्कृष्ट खिलाड़ी 2 प्रतिशत																
1	BANSWARA	216	77	32	22	8	2	7	3	2	1	0	68	29	20	8	1	3	2	2	26	4	
2	CHITTORGARH	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
3	DUNGARPUR	175	63	26	18	7	1	6	2	2	0	0	55	23	16	6	1	2	2	2	1	21	3
4	PALI	13	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
5	PRATAPGARH	170	61	25	17	7	1	6	2	2	0	0	54	22	15	6	1	2	2	2	1	20	3
6	RAJASMAND	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
7	SIROHI	51	19	8	6	2	0	2	0	0	0	0	16	6	5	1	0	1	1	1	0	6	1
8	UDAIPUR	256	91	38	26	10	2	9	3	2	1	0	81	34	23	9	2	3	3	2	31	5	16
TOTAL		888	322	131	91	34	6	30	10	8	2	0	280	115	80	30	5	14	10	10	6	105	16

(क) वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक की रिक्तियों का संभागवार एवं वर्गवार वर्गीकृत विवरणः—(गैर अनुसूचित क्षेत्र)

(ख) वरिष्ठ कम्यूटर अनुदेशक की रिकॉर्डों का संभागवार एवं वर्गवार वर्गीकृत विवरण:- (अनुसूचित क्षेत्र)

क्र.सं.	संभाग का नाम	कुल पद	आनारक्षित वर्ग		SC वर्ग कुल 5 प्रतिशत	ST वर्ग कुल 45 प्रतिशत	नि:शक्तजन कुल 4 प्रतिशत
			महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत			
			सामान्य महिला विधवा (08 प्रतिशत) परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला विधवा (08 प्रतिशत) परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	महिला 30 प्रतिशत	महिला 30 प्रतिशत	महिला 30 प्रतिशत
1	PALI	1	0	0	0	0	0
2	UDAIPUR	12	5	2	0	0	0
TOTAL		13	6	2	0	0	0
						मूलपूर्व सैनिक कुल 12.5 प्रतिशत	
						उत्कृष्ट खिलाड़ी 2 प्रतिशत	

(अ) दृष्टिबाधित (1%)

(ब) श्रवण बाधित (1%)

(ग) सेरेब्रलपाल्सी, कुछरोग, धौनापन, एसिलपीडित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन-नि:शक्तता (1%)

(द) आर्टिज्म, गौदिक नि:शक्तता, लर्निंग नि:शक्तता एवं मानसिक रूग्णता (इ) बहु दिव्यागता (एम शी) (1%)

## नोट:-

1. लम्बवत् रूप से आरक्षित पदों में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद शामिल है।
2. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निररत करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जावेगा।
3. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
4. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) से होगा।
5. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

## विशेष सूचना:-

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियों सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
3. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (अनारक्षित पद/सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पिता के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण/न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
5. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
7. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के लिये विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
8. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
9. बांस जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हे बांस जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश कमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
10. भूतपूर्व सैनिकों हेतु-(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिक :-

(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।

(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.5(18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट-IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

"कोई व्यक्ति जो अपनी पेशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिये आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित

हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।"

"यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।";

यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी रिक्ति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले बर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपत्त (Lapse) हो जावेगी।

11. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु—** उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए—II/84 दिनांक 21—11—2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

**उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :-** कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए—II/84 दिनांक 21—11—2019 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ी" से ऐसे खिलाड़ी अभियेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने :-

1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संरथा द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट / चैंपियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स(ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/ चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ)	एशियन स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन(एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटररायूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"

**नोट:-** कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त विन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

## 12. दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये :-

- i. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत दिव्यांगजन की निम्न लिखित श्रेणियों हेतु 1—1 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है :-
  - i. B/LV (Blindness/ Low vision)
  - ii. HI (Hearing Impairment)
  - iii. LD/CP (Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy
  - iv. (1) Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental Illness.
  - (2) Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf-blindness in the posts indentified for each disabilities.
- ii. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षेत्रिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) का होगा उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

- iii. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उस प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तररपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- iv. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
- v. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यवित्यों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- vi. राजस्थान दिव्यांगनजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(8) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में “यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।”;

## 5. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :—

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सदभावी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर संबंधित विभाग के नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक(क-2) विभाग ने अपने परिपत्र कमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (वोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

**नोट:-** अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

## 6. वेतनमान:- राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-10 एवं वेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-8 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

**अन्य शर्तें :-**

- (1.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Trainee) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रामिक ऐसी दरों पर संदर्भ किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जावे।
- (2.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन शृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रामिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन शृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे व स्थाईकरण का पात्र होगा।

## 7. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

### (1) वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पद हेतु :-

As Per Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service (Amendment) Rules, 2021 in Schedule-II a new "Group D" namely "Computer wing"

Master in Engineering (M.E.)/ Master in Technology (M.Tech.) in Computer Science (CS)/ Information Technology (IT)/ Electronics & Communications Engineering (ECE)/ Electrical Engineering (EE)/ Electrical Electronics Engineering (EEE)/ Electronics & Telecommunication Engineering (ETE)/ Electronics & Instrumentation Engineering (EIE)

OR

M.Sc. in Computer Science (CS)/ Information Technology (IT)

OR

Master in Computer Application (MCA) /B' Level/C' Level

OR

Any equivalent or higher qualification recognised by the Government

2. देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

(2) बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद हेतु :-

As Per Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service (Amendment) Rules, 2021 in Schedule-II a new "Group D" namely "Computer wing"

Graduate and 'A' LEVEL / PGDCA (Minimum one year)

OR

Bachelor in Engineering (B.E.) / Bachelor in Technology (B.Tech.) in Computer Science (CS) / Information Technology (IT) / Electronics & Communications Engineering (ECE) / Electrical Engineering (EE) / Electrical Electronics Engineering (EEE) / Electronic Instrumentation & Control (EIC) / Telecommunications & Instrumentation (TIE)

OR

B.Sc. in Computer Science (CS)/Information Technology (IT)

OR

Bachelor in Computer Application (BCA) from a University established by the law in India

OR

Any equivalent or higher qualification recognised by the Government

2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संरक्षित का ज्ञान।

जो व्यक्ति पाद्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह /उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा,-

1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,

2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।

3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

नोट:-वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो उक्त भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं परंतु उन्हें इस भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इन पदों की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा इन पदों की परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

### अन्य योग्यताएँ :-

(1) स्वास्थ्य :-उक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) चरित्र :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्वरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

### 8. राष्ट्रीयता :-

1. (क) भारत का नागरिक हो, या  
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) ऐसा तिक्ती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या

(ड) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीवार), जाम्बिया, माली, जेर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ) और (ड) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र दे दिया हो।

ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, आयोग या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यधीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।

2. अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें—इन नियमों में किसी भाव के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

### 9. आयुः—आवेदक 1, जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो,

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

1. आयु सीमा में छूट के प्रावधान :-

(क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

3. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।

4. एन.सी.सी. के कैडेट अनुदेशकों (Cadet Instructors) के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिमाणिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।

5. राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों/नियमों के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिकारी (Substantive) हैं यितर से कार्य कर रहे हैं की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
  6. रिलाइज़ इमरजेन्सी कमीशन्ड ऑफिसर/सोर्ट सर्विस कमीशन्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हो, पात्र समझा जायेगा।
  7. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जायेंगे।
  8. विधवाओं और विवाह-विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।
- स्पष्टीकरण:-** विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह-विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रॉस/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट/II दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होंगे।
  10. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021, के नियम 6(A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

**नोट:-**

- (क) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये संबंधित विभाग के उपरोक्त नियमों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- (ख) उपरोक्त विन्दु 9 की क.सं. 1 से 10 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान “Non Cumulative” है अर्थात् अध्यर्थियों को उपरोक्त क.सं. 1 से 10 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

## 10. पेंशन:-

नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

**11. विवाह पंजीयन :-** शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

**12. परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि-** ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करवाकर दिनांक 08.02.2022 से दिनांक 09.03.2022 को 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया ऊपर विन्दु संख्या 1 में वर्णित है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

**13. परीक्षा का माह एवं दिनांक:-** बोर्ड द्वारा बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के उक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा संभवतया माह, मई/जून 2022 में आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित करवाई जायेगी। इस संबंध में विरत्त सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

**14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :-** सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपकरणों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

## 15. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

- (1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
- (4) ऐसा कोई भी अपर्याप्ति, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती,
- परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
- (5) कोई भी उमीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट-चांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, रथाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

## **16. आवेदन कैसे करें:-**

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

**नोट-** राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की कीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर एवं नॉन कीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

**कृपया ध्यान दे:-**

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समर्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
6. अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर भी उपलब्ध है।
7. **फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश**  
**फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-**
  - a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
  - b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
  - c. फोटो की पृष्ठभूमि ( Background ) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
  - d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह धेरना चाहिए।
  - e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ढोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
  - f. यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
  - g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
  - h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
  - i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
  - j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
  - k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
  - l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपरिथिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

### **8. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-**

- a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
- b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
- c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को रेकैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात अपलोड करें।
- d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपरिथिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- e. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
- f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
- g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
- h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- i. मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**विशेष टिप्पणी:-**

1. परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी(Answer Key) बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रु जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।

2. परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन और रास्तों में तोडफोड, लूटपाट, हुड़दंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें।
3. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्पाही का पारदर्शी बालपेन,  $2.5 \times 2.5$  से.मी. का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
4. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्भलित है।
5. सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
6. परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

**17. श्रुत लेखन की सुविधा:**—सामान्यतया: सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न—उत्तर रचयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजरथान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह करे होने या उंगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध करायें जायेंगे, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सुचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आंवटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की रच प्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।

**18. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया:**— बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रूपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम के अलावा अन्य प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।
2. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात् ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300/- रूपये ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी, क्षेत्रिज श्रेणी, विशेष श्रेणी/उप श्रेणी, जन्मतिथी, वैवाहिक स्थिति यथा विवाह, परित्यक्ता एवं लिंग इत्यादि में संशोधन कर सकेगा।
3. अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, माता—पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदक को अपने नाम, माता—पिता के नाम, पत्ते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिये (चयन होने की स्थिति में) पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अवसर दिया जायेगा।
4. इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

**19. प्रमाण—पत्रों का सत्यापन:**—कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण—पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण—पत्र के आधार पर किया जावेगा।

**1. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:**— सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण—पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :—

- i. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओवीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु किमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि समत शपथ—पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
- ii. किमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
- iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की विवाहित महिला का जाति/आय प्रमाण—पत्र नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण—पत्र ही मान्य होगा। पिता की आय के आधार पर जारी प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
3. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4. अभ्यर्थी को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, विवाह, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र एवं अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों की प्रति विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। अभ्यर्थी को पात्रता की जांच के समय मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

**20. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथामः**—आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन में समस्त सूचना सही—सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करनेएवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

**21. बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-**

**Scheme and syllabus of competitive examination for the posts of Senior Computer Instructor:-**

The examination shall carry 200 marks. There will be two papers. Paper-I shall be of 100 marks and paper-II shall be of 100 marks.

**Paper -I**

1. The question paper will carry maximum 100 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects :-
  - (i) Art & Culture, History, Geography, General Science and Current Affairs of Rajasthan.
  - (ii) General Ability shall include following point :-
    - A. Logical Reasoning and Analytical Ability.
    - B. Decision Making and Problem Solving.
    - C. General Mental Ability.
    - D. Basic Numeracy - Numbers and their relations, orders of magnitude, etc. (Class X level)
    - E. Data Interpretation - Charts, Graphs, Tables, Data Sufficiency, etc. (Class X level)
5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer **one third (1/3)** of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer out of multiple choices given for a question.

**Paper -II**

1. The question paper will carry maximum 100 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer **one third (1/3)** of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
5. Paper shall include following subjects:-

- (i) Pedagogy
- (ii) **Mental Ability:** Decision making and Problem solving, Data Interpretation, Data Sufficiency, Logical Reasoning and Analytical Ability, Major developments in the field of Information Technology.
- (iii) **Fundamentals of Computer:** Number system, arithmetic operations, introduction to various categories of computer language, functional details of Input and Output devices.
- (iv) **Programming Fundamentals :** C, C++, Java, DotNet, Artificial Intelligence (AI), Machine learning, Python and Block Chain, programming, data types (Built in and user defined), Scope of variables, precedence of operators, control flow, functions, arrays pointers, structures and unions, enumerated data-types and file handling, command line arguments.
- (v) **Object Oriented Programming using C++ and JAVA:** Objects and classes. Inheritance, polymorphism, event and exceptions handling, files and streams.
- (vi) **Data structures and Algorithms:** Abstract data types, Arrays as data structures, linked list v/s array for storage, stack and stack operations, queues, binary trees, binary search trees, graphs and their representations, sorting and searching, symbol table.
- (vii) **Algorithms:** Tree traversals, Branch and bound and greedy methods, complexity of algorithms.
- (viii) **Digital Logic Systems:** Boolean expressions, K-maps, TTL and CMOS logic families, combinational logic design using half/full adders, Sub tractors, and multiplexer, synchronous sequential system design
- (ix) **Computer Organization and Architecture:** Von-Neumann architecture of computers, Registers and micro operations, control logic, processor addressing and bus organization. Processor input/output and DMA. Memory organization and cache coherence.

- (x) **Operating Systems:** CPU scheduling, Deadlocks, Memory management, file systems, disk scheduling. Concept of Client server architecture in distributed environment and RPC. Process, threads and their synchronization.  
Real Time OS: clock synchronization and task scheduling.  
System initialization, booting and handling user accounts. Backup and restore, Bourne shell programming for Linux.
- (xi) **Database Management System:** E-R models, Relational algebra, calculus and databases, Integrity constraints, triggers, normalization, and indexing. Transaction processing, concurrency control and Relational Database Management System (RDBMS).
- (xii) **Software Engineering:** Phases of System Development Life Cycle. System modeling. Software requirement specifications and DFDs. Introduction to software testing, software project management.
- (xiii) **Data and computer networks:** Evolution of Networking, Data Communication terminologies, Transmission media, Network devices. TCP/IP & OSI/ISO reference models, functions of different layers, characteristics of physical media, multiplexing in physical layer, medium access protocols, introduction to 802.3, 802.4, 802.5, 802.11 LAN technologies, IP protocol including routing and congestion control, TCP and UDP, DNS.
- (xiv) **Network Security:** Groups, rings and fields in finite space, Euler and Fermat's theorem, primality testing, security services and mechanisms, symmetric and asymmetric encryption including DES, AES, IDEA, RSA algorithms, key management in symmetric and asymmetric encryption, message authentication and hashing, email security, viruses and trusted systems, Networking (LAN&WAN), Security, Ethical Hacking.
- (xv) **Basics of communication:** Channel capacity, attenuation, communication impairments, propagation of EM waves through free space (excluding free space models). PCM and delta modulation, WDM, brief introduction to GSM and CDMA based communication systems.
- (xvi) **Web Development:** HTML/DHTML, Web Page Authoring Using HTML, Document Object Model Concept and Importance of Document Object Model, Dynamic HTML document and Document Object Model. Introduction to Cascading Style Sheet (CSS), Extensible Markup Language (XML), Basic of PHP and Java Script.

**Scheme and syllabus of competitive examination for the posts of Basic Computer Instructor:-**

The examination shall carry 200 marks. There will be two papers. Paper-I shall be of 100 marks and paper-II shall be of 100 marks.

**Paper -I**

1. The question paper will carry maximum 100 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects:-
  - (i) Art & Culture, History, Geography, General Science and Current Affairs of Rajasthan.
  - (ii) General Ability shall include following point :-
    - A. Logical Reasoning and Analytical Ability.
    - B. Decision Making and Problem Solving.
    - C. General Mental Ability.
    - D. Basic Numeracy - Numbers and their relations, orders of magnitude, etc. (**Class X level**)
    - E. Data Interpretation - Charts, Graphs, Tables, Data Sufficiency, etc. (**Class X level**)
5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer **one third (1/3)** of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer out of multiple choices given for a question.


**Paper -II**

1. The question paper will carry maximum 100 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer **one third (1/3)** of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer out of multiple choices given for a question.

5. Paper shall include following subjects:-
- (i) Pedagogy
  - (ii) **Mental Ability:** Decision making and Problem solving, Data Interpretation, Data Sufficiency, Logical Reasoning and Analytical Ability, Major developments in the field of Information Technology.
  - (iii) **Fundamentals of Computer:** Overview of the Computer System including input-output devices, pointing devices, and scanner. Representation of Data (Digital versus Analog, Number System - Decimal, Binary & Hexadecimal), Introduction to Data Processing, Concepts of files and its types.
  - (iv) **Data Processing:** Word Processing (MS-Word), Spread Sheet Software (MS Excel), Presentation Software (MS Power Point), DBMS Software (MS-Access).
  - (v) **Programming Fundamentals:** Introduction to C, C++, Java, DotNet, Artificial Intelligence (AI), Machine learning, Python and Block Chain, Principles and Programming Techniques, Introduction of Object Oriented Programming (OOPs) concepts, Introduction to "Integrated Development Environment" and its advantages.
  - (vi) **Data structures and Algorithms:** Algorithms for Problem Solving, Abstract data types, Arrays as data structures, linked list v/s array for storage, stack and stack operations, queues, binary trees, binary search trees, graphs and their representations, sorting and searching, symbol table. Data structure using c & c++.
  - (vii) **Computer Organization and Operation System:** Basic Structure of Computers, Computer Arithmetic Operations, Central Processing Unit and Instructions, Memory Organization, I/O Organization, Operating Systems Overview, Process Management, Finding and processing files.
  - (viii) **Communication and Network Concepts:** Introduction to Computer Networks, Introduction: Networks layers/Models, Networking Devices, Fundamentals of Mobile Communication.
  - (ix) **Network Security:** Protecting Computer Systems from viruses & malicious attacks, Introduction to Firewalls and its utility, Backup & Restoring data, Networking (LAN & WAN), Security, Ethical Hacking.
  - (x) **Database Management System:** An Overview of the Database Management, Architecture of Database System, Relational Database Management System (RDBMS), Database Design, Manipulating Data, NoSQL Database Technologies, Selecting Right Database.
  - (xi) **System Analysis and Design:** Introduction, Requirement Gathering and Feasibility Analysis, Structured Analysis, Structured Design, Object-Oriented Modelling Using UML, Testing, System Implementation and Maintenance, Other Software Development Approaches.
  - (xii) **Internet of things and its application :**Introduction of Internet Technology and Protocol, LAN, MAN, WAN, Search Services/Engines, Introduction to online & offline messaging, World Wide Web Browsers, Web publishing, Basic knowledge HTML, XML and Scripts, Creation & maintenance of Websites, HTML interactivity Tools, Multimedia and Graphics, Voice Mail and Video Conferencing, Introduction to e-Commerce.

22. **बोर्ड की वेबसाइट:**—अम्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन / सूचना / स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संरक्षण परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

  
(हरि प्रसाद शर्मा)  
अध्यक्ष



**शैक्षिक समाचार राजस्थान**  
*Shaikshik Samachar Rajasthan*

हमारे द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पोर्टल में ज्वाइन करने के लिए दिए गए नाम के सामने क्लिक करें

S.N	GROUP NAME	JOIN GROUP
1	<b>TWITTER</b>	<a href="#">CLICK HERE</a>
2	<b>FACEBOOK</b>	<a href="#">CLICK HERE</a>
3	<b>WEBSITE (RAJGYAN)</b>	<a href="#">CLICK HERE</a>
4	<b>TELEGRAME</b>	<a href="#">CLICK HERE</a>
5	<b>TELEGRAME SAMADHAN</b>	<a href="#">CLICK HERE</a>

